सूचना का अधिकार अधिनियम
2005
धारा-4 के अंतर्गत मैनुअल

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन:नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मैनुअल - एक (1)

संगठन की विशिषिठया, कृत्य एवं कर्तव्य

1. छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। नगरीय निकायों की प्रशासकीय कार्य विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में विकास एवं गरीबी उपशमन हेतु संचालित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित योजनाए इस विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण तथा संचालनाय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होते है।
2. नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थापित है जिसके विभागाध्यक्ष के अधिकार संचालक को दिये गये है।
3. विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत है। यह छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन आफ फर्मस एण्ड सोसायटी के अधीन पंजीकृत समिति है। रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव एवं बिलासपुर में जिला शहरी विकास अभिकरणों के कार्यो के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ है, जबकि अन्य जिलो में जिला मुख्यालय सिथत नगरीय निकायों के आयुक्तमुख्य नगर पालिका अधिकारी पदेन परियोजना अधिकारी नियुक्त किये गये है।
4. छत्तीसगढ़ नगर पालिक नियमों के अन्तर्गत वृहत्तर शहरी क्षेत्र, लघुत्तर शहरी क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिये क्रमश: नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यस्था है। इस संवैधानिक के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है:-

1.	नगर पालिक निगम	10
2.	नगर पालिका परिषद	32
3.	नगर पंचायत	127
	कुल	169

विभाग के दायित्व:

इस विभाग को सौपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :-

1. विभाग द्वारा शासित अधिनियमों और नियमों का प्रशासन.

2. नये अधिनियमों एवं नियमों का प्रारूप तैयार करना और वैधानिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना.

3. अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधनों का प्रारूप तैयार करना और वैधानिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना

4. विभाग से संबंधित राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन.

5. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागाध्यक्षों से समन्वय और पत्राचार करना

6. भारत सरकार द्वारा जारी नीतियों का परीक्षण और राज्य शासन की ओर से सुझाव, परामर्श देना.

7. भारत सरकार और राज्य शासन की योजनाओं को जारी करना-सामान्य अनुवीक्षण

8. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत राज्य शासन की शकितयों और कृत्यों का पालन

9. वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन.

10. लोक सभाराज्य सभाविधान सभा के प्रश्नों का उत्तर तैयार कर प्रेषित करना

11. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करना.

12. सर्वोच्च न्यायालयउच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालीन प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करना।

मैनुअल : दो (2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शकितया एवं कर्तव्य :-

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अवर सचिव तक के अधिकारियों को स्वीकृति दिये जाने संबंधी कोई अधिकार नहीं है। सचिव द्वारा माननीय मंत्रीजी के प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मैनुअल : तीन (3)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शकितया एवं कर्तव्य :-

1. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन 1956)

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन 1961)

3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो)

4. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो)

5. स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय क्षेंत्रों में लागू हो)

6. छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यकित (पाँधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

7. छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम 1976

8. छत्तीसगढ़ साईकिल रिक्शा (अनुज्ञपितयों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 36 सन 1984)

9. छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिनर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993

10. छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुसितका भाग-एक एवं भाग-दो

11. छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैनुअल 1983

12. छत्तीसगढ़ पेंशन नियम

13. सिविल सेवा आचरण नियम 1965

14. मूलभूत नियम

15. अवकाश नियम

16. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966

17. सचिवालयीन मैनुअल

18. सेवा भर्ती नियम

मैनुअल : चार (4)

निति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण :-

महत्वपूर्ण नीति, तथा अधिनियम में संशोधन राज्य के विधान सभा द्वारा पारित किये जाते है। नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाते है।

मैनुअल : पाच (5)

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण।

मैनुअल-1 में उल्लेखित बिन्दु विभाग के दायित्व के अंतर्गत समस्त प्रकरणों से संबंधित नस्तीया तथा अभिलेख उपलब्ध है।

मैनुअल : छः (6)

बोर्ड, परिषद, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश के निम्नांकित निकायों का प्रशासकीय विभाग है:-

1.	नगर पालिक निगम	-	10
2.	नगर पालिका परिषद	-	32
3.	नगर पंचायत	-	127
	कुल	-	169

2. विभाग के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय कार्यरत है जिसका मुख्यालय वर्तमान में आर.डी.ए. बिलिडंग, बजरंग काप्लेक्स रायपुर में सिथत है। इसके अंतर्गत चार संभागीय कार्यालय कार्यरत है:-

कार्यालय का नाम	पता	कार्यालय प्रमुख	टेलीफोन नंबर	फैक्स नंबर
संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास,	संचालनालय, रायपुर आर.डी.ए. बिलिडंग बजरंग काम्प्लेक्स, रायपुर	श्री रोहित यादव	0771-4053739	0771-2533054
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	मोतीबाग चौक, सुभाष स्टेडियम, रायपुर	श्री एस.के. सुन्दरानी संयुक्त संचालक	0771-2429644	0771-2429644
संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	व्यापार विहार कालोनी, बिलासपुर	श्री पी.बी. काशी, संयुक्त संचालक	07752-261430	07752-261914
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	गांधी स्टेडियम, दुर्गा मंदिर के पास, अंबिकापुर	श्री कृष्ण दुबे संयुक्त संचालक	07774-221230	07774-221230
संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	पुराना नगर निगम आफिस, संजय मार्केट, जगदलपुर	श्री अशोक चन्द्राकर, संयुक्त संचालक	07782-225355	07782-221443

3. गरीबी उपशमन योजनाओं तथा केन्द्र तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिय राज्य शासन द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है जो एक पंजीकृत सोसायटी है।

कार्यालय का नाम	पता	कार्यालय प्रमुख	टेलीफोन नंबर	फैक्स नंबर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर	आर.डी.ए. बिलिडंग बजरंग काम्प्लेक्स, रायपुर	श्री रोहित यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी	0771-4053739	0771-2222409

5. प्रदेश के सभी 27 जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत है।

मैनुअल : सात (7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टया :-

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	पता
1. ,	श्री एम.एम. मिंज	उप सचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी	0771	2510351	एडी 0-27, महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
2.	श्री एल.डी. चोपड़े	अवर सचिव जनसूच ना अधिकारी	0771	2510234	एडी 0-सी-24 महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
3.	श्री एच.आर. दुबे	सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510736	एडी 0-31 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

मैनुअल : आठ (8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया :-

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय से प्राप्त वित्तीय मामलों से संबंधित प्रस्ताव, मान. मंत्रीजी के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभाग के विशेष मामलों में मुख्य सचिव एवं मान. मुख्य मंत्रीजी की सहमति प्राप्त कर स्वीकृति दी जाती है। नितिगत निर्णय प्रदेश शासन के मंत्री परिषद के निर्णय के उपरांत क्रियान्वयन किये जाते है।

मैनुअल : नौ (9)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क्र.	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष	पता
1.	श्री एम.के. राउत,	प्रमुख सचिव	0771	2510266	एस 0-3 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
2.	श्री एम.एम. मिंज	उप सचिव	0771	2510351	एडी 0-27 महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
3.	श्री एल.डी. चोपड़े	अवर सचिव जनसूचना अधिकारी	0771	2510234	एडी 0-सी-24 महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
4.	श्री एच.आर. दुबे	सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510736	एडी 0-31 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
5.	श्री यू.के.धलेन्द्र	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	--	--	--
6.	श्री पोलीकार्प टोप्पो	सहा. ग्रेड-01	--	--	--
7.	श्री पुनीत मारू	सहा. ग्रेड-01	--	--	--
8.	श्री बलराम सिंह भदौरिया	सहा. ग्रेड-01	--	--	--
9.	श्री अरूण दुबे	सहा. गे्ड-02	--	--	--
10.	श्रीमती दुर्गा बघेल	सहा. ग्रेड-02	--	--	--
11.	श्री आदित्य श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-03	--	--	--
12.	श्री नरेश बाघमार	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
13.	श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
14.	श्री जगदीश वर्मा	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
15.	श्री उत्तर शर्मा	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
16	श्री विमल इंदौरिया	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
17.	श्री कमल यादव	सहा. ग्रेड-03	--	--	--
18.	श्री ललित कुमार विश्वकर्मा	भृत्य	--	--	--

मैनुअल : दस (10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति :-

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक परिलबिधया मूलवेतन	पता
1.	श्री एम.के. राउत,	प्रमुख सचिव	79000	एस 0-3 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
2.	श्री एम.एम. मिंज	उप सचिव	27220+7600	एडी 0-27 महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
3.	श्री एल.डी. चोपड़े	अवर सचिव जनसूचना अधिकारी	20950+6600	एडी 0-सी-24 महानदी भवन,मंत्रालय, नया रायपुर
4.	श्री एच.आर. दुबे	सहायक जनसूचना अधिकारी	16000+4400	एडी 0-31 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
5.	श्री यू.के.धलेन्द्र	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	28210+7600	--
6.	श्री पोलीकार्प टोप्पो	सहा. ग्रेड-01	13080+4300	--
7.	श्री पुनीत मारू	सहा. ग्रेड-01	15990+2800	--
8.	श्री बलराम सिंह भदौरिया	सहा. ग्रेड-01	13700+2800	--
9.	श्री अरूण दुबे	सहा. ग्रे्ड-02	7740+2400	--
10.	श्रीमती दुर्गा बघेल	सहा. ग्रेड-02	7740+2400	--
11.	श्री आदित्य श्रीवास्तव	सहा.ग्रेड-03	13000+2800	--
12.	श्री नरेश बाघमार	सहा. ग्रेड-03	11450+2400	--
13.	श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर	सहा. ग्रेड-03	9850+2400	--
14.	श्री जगदीश वर्मा	सहा. ग्रेड-03	7740+1900	--
15.	श्री उत्तर शर्मा	सहा. ग्रेड-03	11000+2800	--
16	श्री विमल इंदौरिया	सहा. ग्रेड-03	6400+1900	--
17.	श्री कमल यादव	सहा. ग्रेड-03	5200+1900	--
18.	श्री ललित कुमार विश्वकर्मा	भृत्य	4750+1300	--

मैनुअल : ग्यारह (11)

प्रत्येक अधिकारी और कर्र्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति :-

विभाग के बजट का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जाता है।

मैनुअल : बारह (12)

अनुदानराज्य सहायता कार्यक्रमों की नीतिः-

विभाग के अंतर्गत अनुदान एवं योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आबंटन संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है। केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का संचालन राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा किया जाता है। योजनाओं के संबंध में जानकारी निम्नांकित हैः-

1. सरोवर धरोहर योजनाः- राज्य शासन द्वारा 01 मई 2002 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के गहरीकरण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। प्रकरण में तालाब के क्षेत्रफल के मान से योजना में दी जाने वाली राशि तय की जायेगी। योजना पर होने वाले व्यय की अधिकतम 80 प्रतिशत राशि संचालनालय से अनुदान के रूप में जारी होगी तथा शेष कम से कम 20 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को वहन करनी होगी। यह राशि निकाय अपनी स्त्रोंतो से जनता के सहयोग से स्वंय सेवी संस्थाओं के सहयोग से या जन प्रतिनिधियों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि इत्यादि स्त्रोंतो से जुटा सकते है।

2. ज्ञान स्थली योजनाः- राज्य शासन द्वारा 01 मई 2002 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में सिथत विधालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला, महाविधालय भवनों का निर्माण कराया जा सकता है। उपरोक्त विधा भवनों के अतिरिक्त कमरा निर्माण, जर्जर कक्षों का जीर्णोद्धार, छात्राओं की शालाओं में चहरा दीवारीपेयजलमूत्रालय की व्यवस्था का कार्य भी लिया जा सकता है।

3. उन्मुक्त खेल मैदान योजनाः- राज्य शासन द्वारा 01 मई 2002 को राज्य के शहरी क्षत्रों में सिथत खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय द्वारा खेल मैदान का समतलीकरण, पिच का निर्माण, मैदान के घास लगाना, मैदान के आसपास नाली का निर्माण, मिनी स्टेडियम हेतु सीढ़ीयों का निर्माण, चहार दीवारी का निर्माण इत्यादि कार्य किये जा सकेगें।

4. पुष्प वाटिका उधान योजनाः- राज्य शासन द्वारा 01 मई 2002 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच सिथत स्थानों को विकसित कर उधान बनाने हेतु नेहरू बाल उधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय द्वारा नये उधान का निर्माण कराया जा सकेगा। नये उधान में लान-हरियाली, सैर करने के लिये पाथवे, फूलो की क्यारियो तथा बच्चो के खेलकूद की सामग्री इत्यादि लगाई जा सकेगी। प्राक्कलन में उधान के 02 वर्ष तक संधारण का व्यय भी समिमलित किया जा सकेगा। उधान की चहार दीवारीफेंसिंग का काम भी योजना में शामिल

किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत केवल नये उधानों के निर्माण का कार्य ही लिया जा सकेगा। पुराने उधानों की जीर्णोद्धार तथा संधारण का कार्य इस योजना से लिया जाना निषिद्ध है।

5. पं. सुन्दरलाल शर्मा सफाई कामगार आवास योजना:- राज्य के नगरीय निकायों के कार्यरत सफाई कामगारों को स्वंय के आवास उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत 50 वर्गमीटर भूखण्ड में 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में 10 प्रतिशत राशि मार्जिन एवं 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 308 आवासों में रू. 324.00 लाख व्यय कर 105 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

6. मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना:- मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, राज्य शासन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत, सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000.00 दुर्घटना मृत्युहोने पर रू. 50,000.00, दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रू. 50,000.00, दुर्घटना में दो हाथ-पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रू. 50,000.00 एवं दुर्घटना में एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू 25,000 की बीमित राशि नामांकित व्यकित को देय होगी।

7. बाबा गुरू घसीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना:- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों झुग्गी-झोपड़ी और गंदी बसितयों में पेयजल, नाली, सड़क सार्वजनिक शौचालय, विधुत व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। योजना में 80 प्रतिशत शासन अनुदान एवं 20 प्रतिशत निकाय द्वारा अंशदान वहन किया जाता है।

8. प्रतिक्षा बस स्टैण्ड योजना:- प्रतिक्षा बस स्टैण्ड योजनांतर्गत निकायों में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैण्ड बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि शासन द्वारा एवं 20 प्रतिशत राशि नगरीय निकाय द्वारा योजना पर व्यय की जाती है।

9. मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना:- राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकानचबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनांर्गत रू 46,000.00 की लागत से छोटी दुकान व रू 57,000.00 की लागत से बड़ी दुकान एवं रू 6500.00 की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

10. महिला समृद्धि बाजार योजना:- राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तेयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उददेश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश योजनांतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की जावेगी। योजनांतर्गत प्रस्तावित दुकान की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋणस उपलब्ध कराया जावेगा।

निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित करेगा।

11. ट्रांसपोर्ट नगर योजना:- प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवसिथत बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है।

12. गोकुल नगर योजना:- नगर में सिथत डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवसिथत रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है।

13. सार्वजनिक प्रसाधन योजना:- नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शतप्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है।

14. मुकितधाम निर्माण योजना:- शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवसिथत मुकितधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आरसीसी रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल, शौचालय, विधुतीकरण एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी।

15. कुशाभाउ ठाकरे युवा जन विकास योजना:- शहरो में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओमहिलाओं को अपारांपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शकित को उत्पादक बनाने के उददेश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है।

16. हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना:- वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई नवीन योजना का प्रमुख उददेश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवसिथत करने के लिये नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है।

17. सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना:- वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का मुख्य उददेश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसजिजत भवन उपलब्ध करान है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है।

18. भागीरथी नल-जल योजना:- राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में सिथत तंग बसितयों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित तंग बस्ती क्षेत्रो में निवासरत गरीब परिवार को नि:शुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल-जल योजना लागू की गई है।

19. अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना:- राज्य के नगरीय क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने के उददेश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वर्षो से संचालित है। योजना के अंतर्गत महिलाओं की सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सीधे

सहभागिता दी जा रही है। राज्य शासन की अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र की पहल से जहा समिति व सीडीएस की महिलाएं विभिन्न उधम स्थापित करके आर्थिक रूप से सृदृढ़ होगी, वही सेवा केन्द्रों में उनकी बैठको के लिये एक स्थान भी निर्धारित रहेगा। इससे गरीब महिलाओं को लाभानिवत करने का उदेश्य पूर्ण हो सकेगा। योजनांतर्गत सूडा द्वारा समस्त नगरीय निकायों को अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा।

20. रेप पिकर्स कल्याण योजना:- नगरीय क्षेत्रों में एक ऐसा तबका जो कि रेग पिकर्स के नाम से जाना जाता है, उनका व्यवसाय कचरे से पेपर्स, पालीथिन, लोहा, काच एवं अन्य पुर्नचक्रित करने योग्य ठोस अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित कर उनका विक्रय कर जीविकोपार्जन करना है। रेग पिकर्स कल्याण योजना में पुरूष रेग पिकर्स को दो जोडी वर्दी स्लेटी रंग, कचरे से उपयोगी सामग्री बीनने के लिये पंजा, एक जोड़ी गम बूट, रबर के दस्ताने तथा सामग्री संग्रहण हेतु 02 नग पालीथीन बैग्स उपलब्ध कराया जावेगा। महिला रेग पिकर्स को उनके उपयोग के अनुसार दो सा ि डयां तथा अनुषांगिकसामग्री वर्दी के रूप में प्रदान किया जावेगा। इस प्रकार उपरोक्त किट उपलब्ध होने से रेग पिकर्स को अपना कार्य करने में सुविधा प्राप्त होगी।

21. 'पे एण्ड यूज अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय:- इस योजनांतर्गत राज्य की नगरीय निकायों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है तथा 30 वर्षीय अनुबंध के आधार पर पे एण्ड यूज संचालित किया जाता है।

22. शुष्क शौचालय परिवर्तन कार्यक्रम:- स्कीम का उददेश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सिथति के अनुरूप समुचित परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) तथा अधोसंरचना सहित दो गडढ़े वाले जलवाही शौचालयों का निर्माण करना और जहा ईडब्ल्यूएस परिवारों के पास में कोई शौचालय नही है व खुले में मल त्याग की प्रवृति मौजूद है वहा नए शौचालय का निर्माण करके कम लागत की सफाई यूनिटों का निर्माणपरिवर्तन करना है। इससे कस्बे में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा।

23. शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना:- राज्य गठन के पश्चात नगरी क्षेत्रों के सीमाओं में वृद्धि एवं नगरीय निकायों की गठन के फलस्वरूप नवीन सर्वेक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नये सिरे से बीपीएल सर्वे की आवश्यकता का निर्णय लिया गया। इसके लिए समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर वर्ष 2007-08 में सर्वेक्षण पूर्ण किया गया।

मैनुअल : तेरह (13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्रापितकर्ताओं के संबंध में विवरण :-

निरंक

मैनुअल : चौदह (14)

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्थापित मानकनियम :-

मैनुअल-03 के अनुसार

मैनुअल : पन्द्रह (15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएः-

इलेक्ट्रानिक फारमेट में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मैनुअल : सोलह (16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरणः-

अवर सचिव, जनसूचना अधिकारी के कक्ष क्रमांक एडीओ सी-24 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

मैनुअल : सत्रह (17)

अन्य उपयोगी जानकारियाः-

विभाग से संबंधित सुसंगत जानकारी निम्नांकित कार्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती हैः-

1. संचालक-संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास स्तर की जानकारी मैन्युअल में उपलब्ध है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की जानकारी मैन्युअल में उपलब्ध है।
2. राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) की जानकारी मैन्युअल में उपलब्ध है।
3. नगरीय निकाय-नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत-जानकारी मैन्युअल में उपलब्ध है।

--00--